मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20, नियम 6–7, जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर टिब्बी

पीठासीन अधिकारी :– संजय कुमार आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :–127/2024

1. बलविन्द्र सिंह पुत्र जगसिंह जाति जटसिख निवासी श्योदानपुरा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
2. बिन्द्र सिंह पुत्र जगसिंह जाति जटसिख निवासी श्योदानपुरा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

– – वादीगण

बनाम

1. गुरमीतसिंह पुत्र मुकन्दसिंह जाति जटसिख निवासीयान श्योदानपुरा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
2. जगजीतसिंह पुत्र मुकन्दसिंह जाति जटसिख निवासीयान श्योदानपुरा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

– – प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा :–88 आर.टी.ए.घोषणा

निर्णय

दिनांक :– 14.06.2024

वादी की ओर से श्री महेश कुमार गौड़ अधिवक्ता व प्रतिवादी की ओर से श्री सुनील शर्मा अधिवक्ता की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 14.6.24 को संजय कुमार आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर टिब्बी के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होनें पर वादी के विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन करनें तथा पत्रावली व प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन के बाद वाद पत्र स्वीकार योग्य पाये जानें पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के अन्तर्गत आदेश कियां जाकर अन्तिम डिक्री की जाती है, कि वाद पत्र में वर्णित प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम से चक नम्बर 1 ए बारानी के जमाबन्दी संवत 2075 ता 78 के खाता संख्या 126/145 में कुल 2.277 हैक्टर आराजी अनकमाण्ड कृषि भूमि के वादीगण को बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाकर चक नम्बर 1 ए बारानी के खाता संख्या 126/145 में से प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है।

तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी को [illegible] जाता है कि उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भा[illegible] राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जाकर लगा[illegible] भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें [illegible]सी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर टिब्बी

Signature Not Verified
Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2024.08.02 16:34:36 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। यह डिक्री आज दिनांक 14.06.2024 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई

मुहर

(संजय कुमार)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
टिब्बी

वाद के खर्चे

बादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
वाद पत्र के लिये स्टाम्प	--	शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	--
शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	--	अर्जी के लिये स्टाम्प	--
प्रदर्शो के लिये स्टाम्प	--	प्लीडर की फीस	--
रूपये पर प्लीडर की फीस	--	साक्षियों के लिये निर्वाह भत्ता	--
साक्षियों के लिये निर्वाह भत्ता	--	आदेशिका की तामिल	--
कमिश्नर की फीस	--	कमिश्नर की फीस	--
आदेशिका की तामिल	--		
योग	--	योग	--

Signature Not Verified

Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2024.08.02 16:34:36 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner